न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या : 32/2016

अपीलांट

ग्राम पंचायत,
खानपुर जरिये सरपंच,
श्री अशोक कुमार पुरोहित,
त्हसील जसवंतपुरा जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. बिनेश अग्रवाल पुत्र राधेश्याम जाति अग्रवाल निवासी भीनमाल
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदारजी, तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
1. श्री शम्भूदान आशिया , विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 31-03-2021

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी जसवंतपुरा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05/2014 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी सरहद मौजा खानपुर खसरा नम्बर 880/1261 व 882 स्थित है उसके खेत के खसरा नम्बर 882 के दक्षिण दिशा में अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 881 स्थित है उक्त खसरा नम्बर 881 की दक्षिण माठ से लगता हुआ आराजी खसरा नम्बर 997 किस्म गै. मु. सडक आया हुआ है, जिसमें से होकर रेस्पोडेट सं. 01 व उसका परिवार अपने खेत में आते जाते है जो उक्त रास्ता रेस्पोडेंट सं. 01 ने खसरा नम्बर 881 में से रेस्पोडेंट सं. 01 का कृषि भुमि खसरा नम्बर 882 व 880/1261 में प्रवेश करने हेतु 30 फीट चौडा रास्ता प्रदान कराने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने अपना जवाब प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेंट सं. 1 के खेत खसरा नम्बर 882 व 880/1261 पूर्व में अविभाजित था जिसको नक्शा ट्रेस में दो भागों विभाजित किया हुआ है आराजी खसरा नम्बर 881 के पश्चिमी माठ पर रेकर्डड आम रास्ता चलता है, जो काफी आगे तक खेतो में जाता है जिसका उपयोग संबधित खातेदार व आमजन द्वारा रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग लिया जाता रहा आ रहा है। उक्त आम रास्ते में से मौके पर भौतिक रूप से खेत खसरा नं. 880 के दक्षिणी माठ पर रास्ता चलता है। जो कदीमी करीबन 100 वर्ष पुराना है जो आगे खेत खसरा नं. 884/1241, 886 व उसके आगे स्थित अन्य खेतो में जाता है खेत खसरा नं. 880/1261 व 882 एवं नक्शें में अंकित अन्य नवीन खसरा नं. 1228/1261 के लगता हुआ कदीम से चलता है। उक्त रास्ते सें प्रार्थी का आवागमन होता है। किन्तु अपीलाण्ट की भूमि खसरा नम्बर 881 में रेस्पोडेट संख्या 01 के आवागमन के लिए न तो रास्ता रहा है एवं न ही वर्तमान में रास्ता है। खसरा नम्बर 881 अपीलाण्ट के स्वामित्व की भूमि है जिस पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि से वृक्षारोपण काफी समय पूर्व किया गया एवं वृक्ष लगाये तथा काफी विकसित किया है प्रार्थी की उक्त भुमि अब नगर पालिका भीनमाल की सीमा के अंदर आई है तथा सडक पर बाजार भाव काफी ज्यादा होने. के कारण चालाकी से अपने खेत की दक्षिण माठ को आम सडक राष्ट्रीय राजमार्ग तक मिलाना चाहता है, जिससे वह आम सडक पर व्यावसायिक–वाणिज्यिक भूखण्ड का विक्रय कर भारी मात्रा में अवैध तरीके से धनराशि कमा सके। उपखण्ड अधिकारी, जसवंतपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया कि रेस्पोडेट संख्या 01 खातेदार उक्त नाप लम्बाई में 130 फीट व चौडाई में 20 फीट कुल 2600 वर्गफीट की भूमि की डीएलसी दर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की दर के परिप्रेक्ष्य में प्रतिफल की दुगुनी राशि राज्यकोष में जमा करावें। उप तहसीलदार, रामसीन प्रार्थी को उक्त गोचर पर किए गये अवरोध को हटाकर अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी सरहद मौजा खानपुर खसरा नम्बर 880/1261 व 882 स्थित है उसके खेत के खसरा नम्बर 882 के दक्षिण दिशा में अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 881 स्थित है उक्त खसरा नम्बर 881 की दक्षिण माठ से लगता हुआ आराजी खसरा नम्बर 997 किश्म गै. मु. सडक आया हुआ है, जिसमें से होकर रेस्पोडेट सं. 01 व उसका परिवार अपने खेत में प्रवेश करते है उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का एकमात्र रास्ता है प्रस्तावित रास्ते को संलग्न नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया गया है। अतः प्रार्थी की माफिक इस्तदुआ प्रार्थना पत्र के साथ परिशिष्ट अ में लाल रंग से दर्शित 30 फीट चौडा रास्ता खसरा नं. 881 में से प्रार्थी की कृषि भूमि

खसरा नं. 882 व 880/1261 मे प्रवेश करने के लिए आदेशित कर राजस्व रेकर्ड में रास्ता तरमीम करवाने हेतु निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। अपीलांट ग्राम पंचायत ख़ानपुर को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। तथा जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी सरहद मौजा खानपुर के खसरा नंबर 880/1261 व 882 में आने जाने के लिए खसरा नं. 881 के दक्षिण माठ से रास्ते की मांग की गई है। राजस्व रेकर्ड अनुसार आराजी खसरा नं. 881 रकबा 2.47 है गै. मु. गौचर राजस्थान सरकार के आधिपत्य की अन्य सरकारी विभागों या सार्वजनिक संस्थाओ द्वारा धारित भूमियां ग्राम पंचायत खानपुर गै. मु. गोचर दर्ज है। प्रार्थी के खातेदारी में आने–जाने के लिए निकटतम रास्ता उपलब्ध नही है। तथा उक्त गोचर में से जो प्रार्थी द्वारा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। चूंकि गोचर भूमि पर सभी ग्रामवासियों एवं खातेदारों को भी आने–जाने, उसका उपयोग–उपभोग करने का हक होता है। तथा यह सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ही होती है। अतः ग्राम पंचायत खातेदार कृषकों को गोचर भूमि में आने जाने एवं उसके उपभोग में रोक नहीं सकती है। तथा सरपंच ग्राम पंचायत खातेदार एवं गोचर भूमि के बीच काटों की बाड बनाकर अवरोध खडा करती है। तो यह नितांत नाजायज कार्यवाही है। चूंकि यह जालोर–भीनमाल–करडा रोड राष्ट्रीय राजमार्ग भी घोषित हो चुका है। तो भी राष्टीय राजमार्ग की जद की आने–जाने वाली गोचर भूमि भी आवाजाही हेतु कानूनन उपलब्ध रहती है। तथा प्रार्थी को रोड पर आने–जाने हेतु यही छोटी पट्टी गोचर भूमि की वास्ते हेतु नसीब है। रोड बाउण्ड्री में ही गोचर भूमि आती है। अन्य कोई राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। साथ ही प्रस्तावित रास्ते के दक्षिण दिशा की तरफ राजमार्ग आया हुआ है। जो भीनमाल से जालोर जाने वाला राज्यमार्ग है। जिसका खसरा नं. 881 लगता हुआ होना बताते हुए प्रार्थी द्वारा 30 फीट रास्ता चाहा गया है जिसे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट ए की पुष्टि होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग की जद में उक्त खसरा नं. 881 की भूमि आने से व सार्वजनिक उपयोग की होने से प्रार्थी खातेदार इसका उपयोग करने को कानूनन सक्षम है। लिहाजा सरपंच ग्राम पंचायत खानपुर का खसरा नं. 881 गोचर भूमि पर किसी तरह का अवरोध राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा/जद में आने से अविलंब हटाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। गौचर सार्वजनिक भूमि है। चरागाह का समस्त क्षेत्रफल नहीं लिया गया है। सार्वजनिक भूमि के मामले में ग्राम पंचायत को कोई आपति नही होनी चाहिए। पूर्व से ही प्रचलित रास्ता है केवल मात्र प्राकृतिक सुखाचार Easement Right को दृष्टिगत रखते हुए आमजन के प्राकृतिक अधिकार को अक्षुण रखने हेतु निर्णय पारित किया गया है ये एक प्रकार Easement Hospatility (सुविधा) राहत आमजन हेतु प्रदान की गई है जो

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

कि अनका अधिकार है इसमें किसी प्रकार का voilation नहीं किया गया है सुलभ आवागमन होने व आमजन को सुविधा को ध्यान में रखकर रास्ता दिया गया है यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रास्ता पूर्व से ही प्रचलित चला आ रहा है उसी में से रास्ता दिया गया है। ग्राम पंचायत ऐसी संस्था है जो कि ग्रामीण क्षेत्र का समुचित विकास करती है। वहीं पंचायत विकास के कार्य में कैसे दखल दे रही है व आपत्ति कर रही है तथा रास्ते को लेकर के विवाद न्यायालय में लेकर के आ रही है यह समझ से परे है संभवतः ग्राम पंचायत का न्याय प्राप्ति उद्देश्य नहीं है। अपितु न्यायालय को गुमराह करके अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तथा अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए हथियार के रूप में काम में लिया जा रहा है

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखंड अधिकारी, जसवंतपुरा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05/2014 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
31/03/2021